न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शिवदत्त्ली ... बनाम ... (handwritten, partly illegible)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | [illegible] (handwritten case number) [illegible]/2023 |

रकबा 0.0380 है0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 1615/1316 रकबा 2.8520 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 6.51 हैक्टर तन ग्राम हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि तक बैंक रहन व विक्रय लेख इत्यादि का सुविधानुसार उपयोग उपभोग किये जाने की हद तक शिथिलता प्रदान की जाती है। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण 1 ता 3 पत्रावली दिनांक 21.12.23 को पेश हो।

11/12/23

( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

**21.12.23**

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] [illegible] में हैं। पत्रावली वास्ते आदेश [illegible] दिनांक 14-2-24 को पेश हो।

**26-6-24**

इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/[illegible] अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/[illegible] में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-7-24 को पेश हो।

**25.07.2024**

Note press

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने [illegible] होकर उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र [illegible] बताकर नोट प्रेस मे खारीज [illegible] करते हुए पत्रावली [illegible] आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित [illegible]र हस्ताक्षर किए। व[illegible] प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नोट प्रेस मे खारीज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

( अनिल कुमार )
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.29 18:33:20 IST
Reason: SelfAttested